

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 121/2015

वादपत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1- जगदीश पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- शंकरलाल पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- कमलादेवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- महेश पिता स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 4- प्रभात पिता स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 5- मधु पुत्री स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 6- सरीता पुत्री स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 7- कैलाश पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 8- माधवी उर्फ गिरिजा पत्नी स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 9- अतुल पिता स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 10- मयूर पिता स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 11- विनोद कुमार पिता लक्ष्मीनारायण गर्ग नि. निकुंभ हाल निम्बाहेडा
- 12- कमलेश पिता लक्ष्मीनारायण गर्ग नि. निकुंभ
- 13- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- जगदीश पिता लालूराम गर्ग (गुरु) सा. निकुंभ

आ. नं.	रकबा
454	0.4000
453/1	0.1500
2	0.5500

2- शंकरलाल पिता लालूराम 1/3 कैलाश पिता लालूराम 1/3 + महेश पिता ओमप्रकाश 1/15 प्रभात पिता ओमप्रकाश 1/15 मधु पिता ओमप्रकाश 1/15 सरीता पिता ओमप्रकाश 1/15 कमला देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश 1/15 गर्ग (गुरु) सा. निकुंभ

आ. नं.	रकबा
453 मी.	0.2900
452	0.0400
2	0.3300

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



PTO

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी


न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़


दिनांक : 23/12/2024

क्रमांक : राजस्व/2024/289

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।




सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 121/2015 वादपत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955
1- जगदीश पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- शंकरलाल पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- कमलादेवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- महेश पिता स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 4- प्रभात पिता स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 5- मधु पुत्री स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 6- सरीता पुत्री स्व. ओमप्रकाश गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 7- कैलाश पिता लालूराम गर्ग नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 8- माधवी उर्फ गिरिजा पत्नी स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 9- अतुल पिता स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 10- मयूर पिता स्व. भगवतीप्रसाद गर्ग नि. निम्बाहेडा
- 11- विनोद कुमार पिता लक्ष्मीनारायण गर्ग नि. निकुंभ हाल निम्बाहेडा
- 12- कमलेश पिता लक्ष्मीनारायण गर्ग नि. निकुंभ
- 13- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- जगदीश पिता लालूराम गर्ग (गुरु) सा. निकुंभ

आ. नं.	रकबा
454	0.4000
453/1	0.1500
2	0.5500

2- शंकरलाल पिता लालूराम 1/3 कैलाश पिता लालूराम 1/3 + महेश पिता ओमप्रकाश 1/15 प्रभात पिता ओमप्रकाश 1/15 मधु पिता ओमप्रकाश 1/15 सरीता पिता ओमप्रकाश 1/15 कमला देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश 1/15 गर्ग (गुरु) सा. निकुंभ

आ. नं.	रकबा
453 मी.	0.2900
452	0.0400
2	0.3300

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी